न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
406 / 2022 / प्रार्थना पत्र	14.10.2022	07.02.2024

उनवान

1– मु. ऐजन पुत्री भुरा मीणा निवासी खेड़ी जीवराजपुरा तहसील शाहपुरा
2– मु. गुलाब पुत्री भुरा मीणा निवासी खेड़ी जीवराजपुरा तहसील शाहपुरा
3– शकर पुत्र भुरा मीणा निवासी खेड़ी जीवराजपुरा तहसील शाहपुरा
4– मु. शांति पुत्री भुरा मीणा निवासी खेड़ी जीवराजपुरा तहसील शाहपुरा
5– हरचंदा पुत्र भुरा मीणा निवासी खेड़ी जीवराजपुरा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– रामस्वरूप पुत्र गोगा मीणा निवासी खेड़ी जीवराजपुरा तहसील शाहपुरा
2– मैनेजर शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शाहपुरा
3– शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शाहपुरा
4– तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति – श्री योगेन्द्र सिंह भाटी :– अभिभाषक प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थीण की संयुक्त खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम खेड़ी जीवराजपुरा पटवार हल्का रघुनाथपुरा भू0अ0निरीक्षक मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा में खाता सं. 73 में खसरा सं. 37 रकबा 0.32 हे. स्थित हैं। विपक्षीगण सं. 1 रामस्वरूप मीणा की खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम खेड़ी जीवराजपुरा पटवार हल्का रघुनाथपुरा भू0अ0निरीक्षक मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा में खाता सं. 57 में खसरा सं. 35 रकबा 0.11 है0 स्थित है। प्रार्थीगण पेरा सं. 1 में वर्णित कृषि आराजी नम्बर 37 पर कृषि कार्य करने, हकाई, कटाई व काश्त करने हेतु कृषि यन्त्र, उपकरण बेलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु व अपनी कृषि उपज को जाने ले जाने हेतु आम रास्ता खसरा नं. 102 गे.मु. सड़क से होते हुए विपक्षी सं. 1 की आराजी सं. 35 के सहारे सहारे प्रवेश करते हुए प्रार्थीगण अपनी आराजी सं. 37 पर मेर के सहारे सहारे रास्ते से आने पूर्वजों के समय से ही उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। विपक्षी सं. 1 की आराजी नम्बर 35 रकबा 0.11 है. पूर्व में लगभग 11 वर्ष पूर्व प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी जिसको प्रार्थीगणों ने विपक्षी नं. 01 को अपने परिवार का सदस्य होने से सहमति के आधार पर बिकाव की थी और विपक्षी सं. 01 ने प्रार्थीगण की आराजी नं. 35 पूर्व की आराजी के बदले अपनी अन्य आराजी सहमति के आधार बिकाव की थी। सहमति हमेशा आने जाने में व रास्ते के रूप में आने जाने हेतु मौखिक रूप से भी थी। प्रार्थीगण अपनी आराजी सं. 37 पर बिना रोक टोक रास्ते के रूप में आने पूर्वजों के समय स ही आराजी सं. 35 का उपयोग उपभोग रास्ते के रूप में करते चले आ रहे है और बिकाव के पश्चात भी आराजी नम्बर 35 विपक्षी नं. 01 आराजी का अनवरत रूप से रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। लेकिन विपक्षी सं. 1के म में फितुर आ जाने से और प्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से विपक्षी सं. 1 ने आरजी नम्बर 102 आम रास्ता गे.मु. सड़क के पश्चात आराजी नम्बर 35 की मेड पर बने रास्ते पर कांटों की टांटी(दरवाजा) बनाकर ताला लगाकर रास्ते बंद कर दिया तथा आराजी नम्बर 35 के मेड़ के दूसरी और दुसरे छौर पर भी प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 37 के मेड के सहारे टांटी लगाकर ताला लगाकर रास्ते को बंद कर दिया। इस प्रकार विपक्षी नं. 01 ने जानबूझकर रास्ते के दोनो ओर टांटिया लगाकर ताला लगाकर रास्ते को बंद कर दिया और टांटिया लगाकर रास्ते को बंद कर दिया तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजी में ज्वार की फसल पडत्री हुई है उसको लाने ले जाने भी नहीं दे

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा,जिला शाहपुरा (राज)

रहे है। इस कारण प्रार्थीगणा को विपक्षी सं. 01 के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता हुई है। प्रार्थीगण काश्तकार है और उनका जीवन मात्र कृषि पर आधारित है। वर्तमान में काश्त का समय है परन्तु मौके पर रास्ता नहीं होने से एवं विपक्षी नं. 01 द्वारा लड़ाई झगड़ा, मारपीट व गाली गलौच करतने से प्रार्थीगण को अपनी आराजी बिना काश्त के खाली रखनी पड़ रही है और कटी हुई खेत पर पड़ी ज्वार की फसल को भी विपक्षी नं. 01 ले जाने नहीं दे रहा है। प्रार्थीगण के पा अपनी पैरा सं. 01 में वर्णित आराजी पर पहुंचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण को विपक्षी सं. 01 की आराजी सं. 35 से लम्बाई मौके के अनुसार तथा चौड़ाई 20 फीट रास्ता नहीं मिला तो प्रार्थीगण आपनी आराजी कभी भी काश्त नही कर पायेगा। जिससे प्रार्थीगण को भारी आर्थिक क्षति होगी और प्रार्थीगण अपनी आराजी के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगें। इस कारण प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहुंचने एवं कृषि कार्य करने एवं काश्त करने हेतु तथा कृषि यंत्र उपकरण लाने ले जाने हेतु विपक्षी नं. 01 की आराजी सं. 35 पैरा सं. 2 में वर्णित से लम्बाई में मौके अनुसार व चौड़ाई में करीब 20 फीट रास्ते की आवश्यकता है जिसे रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाना भी न्यायहित में आवश्यक है। उक्त रास्ते की भूमि का मूल्यांकन भूमि की डी.एल.सी. दर से नियमानुसार राशि अदा करने हेतु प्रार्थीगण तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा0का0अधिनियम का स्वीकार फरमाते हुए प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित आराजी नम्बर 37 में पहुंचने के लिये आम सड़क आ.नं. 102 गै.मु. सड़क से होते हुये विपक्षी नं. 1 की आराजी नम्बर 35 से मेर को सहाने सहारे आ.नं. 37 तक 20 फीट का रास्ता प्रार्थीगिणों को डी.एल.सी. रेट पर दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें एवं उक्त रास्ते को राजस्व नक्शे में एवं रेकार्ड में रास्ते के रूप में स्थाई रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें जिसकी पालना विपक्षी सं. 4 तहसीलदार शाहपुरा द्वारा कराया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 28.11.2022 को बावजूद सम्मन तामिल के कोई विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुआ। मौका रिपोर्ट तथा डीएलसी रिपोर्ट हेतु तहसीलदार शाहपुरा को पत्र लिखा गया। दिनांक 02.01.2023 को विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी एवं मौका रिपोर्ट तथा डीएलसी रिपोर्ट हेतु स्मरण पत्र जारी किये जाने हेतु आदेशित किया गया। दिनांक 07.02.2023 को प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक 975 दिनांक 21.12.2022 से मौक रिपोर्ट/डीएलसी रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिनांक 16.08.2023 को तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संबंध में पुनः बिन्दुवार रिपोर्ट चाही गयी एवं पत्र जारी किया गया। तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक 811 दिनांक 20.10.2023 से बिन्दुवार रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिनांक 07.02.2024 को अभिभाषक प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्या को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार एवं प्रस्तावित रास्ते अनुसार रास्ता दिये जाने पर सहमति व्यक्त कर उसी अनुसार रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन, प्रकरण एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रेषित भू0अ0निरीक्षक मिण्डोलिया द्वारा तैयार मौका पर्चा एवं रिपोर्ट अनुसार अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया गया है। एवं वांछित मार्ग अत्यांतिक आवश्यक बताया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

अतः भू0अ0निरीक्षक मौका रिपोर्ट एवं उप तहसीलदार ढीकोला से प्राप्त डीएलसी रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी पर पहुंच हेतु निम्न सारणी अनुसार खातेदारान की आराजियात में से रास्ता दिया जाना है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	आराजी नम्बर	कुल रकबा हे0 में	रास्ते हेतु वांछित भूमि ल. × चौ. वर्ग मीटर में	रकबा वर्ग मीटर में	रकबा हे0 में	डीएलसी दर का दुगना करने पर राशि
1.	रामस्वरूप पिता गोगा मीणा निवासी खेड़ी जीवराजपुरा रहन एस.बी.आई. शाखा शाहपुरा	35	0.11	52 × 6	312	0.0312	12950/—
		योग				0.06	12950/—

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
एव सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज.)

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम खेड़ीजीवराजपुरा प0म0 रघुनाथपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी 37 तक पहुंचने हेतु विपक्षी सं. 01 की आराजी सं0 35 रकबा 0.11 है0 में से 52 मीटर लम्बा × 6 मीटर चौड़ा रास्ता हेतु 0.0312 है0 भूमि की आवश्यकता होगी जिसकी डी0एल0सी0 दर से दुगनी राशि **12950/– रूपये** बनती है। इस प्रकार कुल राशि **12950/– रूपये अक्षरे बारह हजार नो सो पचास रूपये** उक्त सूची अनुसार संबंधित काश्तकार को भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शें में तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। उक्त आराजी का नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 07.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा
शाहपुरा,जिला शाहपुरा (राज)

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ एवं सूचनार्थ।

संलग्न :– नक्शा ट्रेस की प्रति

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा
शाहपुरा,जिला शाहपुरा (राज)